भारतीय दण्ड प्रक्रिया नियमावली, 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत आदेश

मुझे ऐसा ज्ञात/संज्ञान हुआ है कि जिला कैथल की सीमा के अन्दर धान की फसल की कटाई कम्बाईन मशीन से करवाने के पश्चात इसके अवशेषों को जला दिया जाता है। इन अवशेषों को जलाने से होने वाले प्रदूषण से मनुष्य के स्वास्थ्य, संपत्ति की हानि, तनाव, क्रोध या मावन जीवन को भारी खतरे की सम्भावना रहती है, जबकि उन अवशेषों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसके जलाने से चारे की कमी भी हो सकती है।

अतः दण्ड प्रक्रिया नियमवाली, 1973 की धारा 144 द्वारा पारित प्रदत शक्तियों के अन्तर्गत **मैं, धर्मवीर सिंह, एच0सी0एस, जिलाधीश, कैथल** तुरन्त प्रभाव से समस्त कैथल जिले में धान की फसल की कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों को जलाने पर तुरन्त प्रतिबन्ध लगाता हूँ।

आपातकालिन स्थिति व समय की कमी तथा परिस्थितियों के दृष्टिगत मैं यह आदेश सम्बन्धित व्यक्तियों की अनुपस्थिति में पारित करता हुं। तथा यह जन सामान्य को सम्बोधित करता हुं।

इस आदेश का जिला कैथल में ढोल बजाकर, जिला लोक सम्पर्क विभाग की वैन/जीप द्वारा मुनादी करवाकर तथा जिला कचैहरी, उपमण्डल कचैहरी तथा सार्वजनिक स्थानों व पुलिस स्टेशनों पर नोटिस चस्पा करके प्रचार किया जाए।

उपरोक्त आदेशों की अहवेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 संपठित वायु एवं प्रदुषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत दण्ड का भागी होगा।

उपरोक्त आदेशों की पालना उप–निदेशक, कृषि, कैथल व जिले के समस्त थाना प्रभारी अपने–अपने नियन्त्रण क्षेत्र में सुनिश्चित करेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 8th अक्तूबर–2018 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया।

जिलाधीश, कैथल।

पृ0 क्रमांक 18491-530/एम0ए0 दिनांक 8-10-2018

इसकी एक–एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है:–

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ।
2. वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, गृह/राजस्व विभाग, चण्डीगढ।
3. आयुक्त, करनाल मण्डल, करनाल।
4. महानिदेशक पुलिस, हरियाणा, पंचकूला।
5. महानिरीक्षक पुलिस, करनाल मण्डल, करनाल।
6. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कैथल।
7. राज्य के सभी उपायुक्त।
8. महा निदेशक, कृषि विभाग, हरियाणा, पंचकूला।
9. अतिरिक्त उपायुक्त, कैथल।
10. पुलिस अधीक्षक, कैथल।
11. उपमण्डल अधिकारी (ना0), कैथल/गुहला/कलायत।
12. जिला राजस्व अधिकारी/जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, कैथल।
13. जिला के सभी तहसीलदार/नायब तहसीलदार।
14. जिला सूचना एवं लोक सम्पर्क अधिकारी/जिला खाध एवं आपुर्ति नियंत्रक, कैथल।
15. कार्यकारी अधिकारी, नगरपरिषद, कैथल।
16. उप निदेशक कृषि विभाग कैथल।
17. जिला के सभी खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी।
18. जिला खादय एंव आपुर्ति नियन्त्रक कैथल।